मध्यप्रदेश शासन,
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक/ 905 /2020/ई/चार भोपाल, 24 /06/2020

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
शासन के समस्त विभाग,
मध्यप्रदेश शासन,
मंत्रालय, भोपाल।

विषय:- वित्त विभाग की सहमति उपरांत जारी की जाने वाली स्वीकृतियों के संबंध में।

कतिपय प्रकरणों में यह दृष्टिगोचर हुआ है कि विभाग द्वारा वित्त विभाग से ई-ऑफिस के माध्यम से प्रचलित नस्ति में प्रदान किए गए परामर्श /सहमति के आधार पर जारी स्वीकृतियों में वित्त् विभाग की ई-फाईल क्रमांक/दिनांक को अंकित नहीं करते हुए मात्र ई-ऑफिस से मिली सहमति का उल्लेख किया जा रहा है। स्वीकृति आदेश में ई-फाईल नंबर अंकित नहीं किए जाने से भविष्य में संबंधित नस्ति के संदर्भ को खोज पाना मुश्किल होगा।

अतः निर्देशानुसार अनुरोध है कि ई-ऑफिस के माध्यम से प्रचलित नस्तियों में वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श /सहमति के आधार पर जारी की जाने वाली स्वीकृतियों में वित्त विभाग की ई-फाईल क्रमांक/दिनांक एवं भौतिक रूप से प्रचलित नस्तियों में प्राप्त परामर्श /सहमति के परिप्रेक्ष्य में जारी स्वीकृतियों में पूर्व की भांति वित्त विभाग के यू.ओ.क्रमांक/दिनांक अनिवार्य रूप से अंकित किया जाए।

24.6.20

(मनोज कुमार जैन)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

क्रमांक/ 906 /2020/ई/चार भोपाल, 24 /06/2020

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव वित्त के विशेष सचिव,
2. सचिव वित्त विभाग की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त उप सचिव वित्त, समस्त विभागों को ई-ऑफिस के माध्यम से वापस की जाने वाली नस्तियों में ई-फाईल क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख अनिवार्य रूप से कराया जाना सुनिश्चित करें।
4. गार्ड फाईल

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग